न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 05 / 2023

श्री परसराम वैष्णव पुत्र श्री राम नारायण वैष्णव निवासी श्री राम नगर मोरला ग्राम पं. बासेडा त0 टोडारायसिंह जिला टोंक राज. ---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक

---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 14.06.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह को आवेदन पत्र दिनांक 19.01.2023 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1. दिनांक 22.07.2022 को स्थानीय जनप्रतिनिधी व आम जनता द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जी महोदय को ज्ञापन दिया जाकर खेरडा रोड से सर्व समाज श्मशान स्थल तक रोड के दोनो और किये अतिक्रमण को हटाने को कहा था। आप द्वारा दिये गये ज्ञापन पर क्या कार्यवाहि की गई है.कि गई कार्यवाही कि सम्पूर्ण सत्य प्रतिलिपिया देने का श्रम करे।
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय को दिनांक 31.08.2016 को समस्त कस्बेवासी टोडारायसिंह ने खुलेआम बिक रहे मादक पदार्थ को बन्द कराने बाबत् ज्ञापन सौपा गया था। उक्त जनता द्वारा दिये गये ज्ञापन पर महोदय द्वारा क्या कार्ययवाही की गई थी. आप द्वारा कि गई कार्यवाही की सम्पूर्ण नकल सत्य प्रमाणित प्रतिलिपिया देने का श्रम करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक को पत्र कमांक 350 दिनांक 01.03.2023 व 421 दिनांक 21.03.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने पत्र कमांक RTI / 2023 / 238 दिनांक 14.03.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 127 दिनांक 31.01.2023 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

जिला कलेक्टर टोंक

प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते